LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi Sunita Thapliyal Joint Director

Meenakshi Rawat **Editor**

Pankaj Kumar Singh
Assistant Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka) No. 09, Tuesday, August 1, 2023/ Sravana 10, 1945 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
*Starred Question Nos. 161 to 163	12-19	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
Starred Question Nos. 164 to 180	20-103	
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	104-758	

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

759-766,
774-775
767
7 68
769-770
771
772
776
777
778-783
778

(ii)	Status of implementation of the recommendation	
	contained in the 30 th Report of the Standing	
	Committee on Rural Development and Panchayati	
	Raj on Demands for Grants (2023-2024) pertaining	
	to the Department of Land Resources, Ministry of	
	Rural Development	
Shri Faggansingh Kulaste		

779

(iii) Status of implementation of the recommendations / observations contained in the 244th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 237th Report of the Committee on 'Police-Training, Modernisation and Reforms' pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Nityanand Rai

780

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) - Demand No. 44 pertaining to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Dr. Sanjeev Kumar Balyan

781

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2022-2023) – Demand No. 16 pertaining to the Ministry of Cooperation

Shri Kailash Choudhary

782

(VI)	observations contained in the 46 th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting	
	Dr. L. Murugan	783
ELEC	CTION TO COMMITTEE Central Advisory Committee for the National Cadet Corps	784
	ERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY	705 700
OF D	ELHI (AMENDMENT) BILL, 2023	785-798
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	786-789
	Shri N.K. Premachandran	789-791
	Shri Asaduddin Owaisi	792
	Prof. Sougata Ray	793
	Shri Gaurav Gogoi	793-794
	Dr. Shashi Tharoor	794
	Shri T.R. Baalu	794-796
	Shri Pinaki Misra	796
	Shri Amit Shah	797
_	TEMENT RE: NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ENDMENT) ORDINANCE, 2023 (NO.1 OF 2023)	799
MAT	TERS UNDER RULE 377	800-825
(i)	Regarding repair and four laning of Ankleshwar road to Maharastra Border and bringing it under the control of NHAI	
	Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	800-801

(ii)	Need to increase the amount of PM Kisan Samman Nidhi Yojana	
	Shri Ravindra Kushawaha	801
(iii)	Need to resolve the issues pertaining to identification and classification of various castes in the country Kunwar Pushpendra Singh Chandel	802
(iv)	Need to construct an over-bridge on N.H. No. 9 near Sorkhi Village in Hansi Tehsil in Hisar Parliamentary Constituency	
	Shri Brijendra Singh	803
(v)	Need to correct the style of name of 'Bhoyarpawar' caste as 'Bhoyar Pawar' in the Central list of OBCs Shri Sunil Baburao Mendhe	804
(vi)	Need to constitute a regulatory body to monitor the negative impacts of social media on children and youths of the country	
	Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	805
(vii)	Regarding implementation of Garib Kalyan Yojana in Odisha	
	Shri Suresh Pujari	806-807
(viii)	Need to include Cancer under notified diseases category	
	Shri Sanjay Seth	808
(ix)	Need to include Dhauli-Ratnagiri-Lalitgiri-Udayagiri- Langudi Buddhist Circuit under the Swadesh Darshan Scheme	
	Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	809

(x)	Need to declare Bihar as a drought-prone State	
	Shri Sushil Kumar Singh	810
(xi)	Regarding inclusion of Balurghat, Buniadpur and Gangaram Railway Stations under the Amrit Bharat Station Scheme	
	Dr. Sukanta Majumdar	811
(xii)	Regarding depleting water table and shortage of water in Sheohar Parliamentary Constituency	
	Shrimati Rama Devi	812
(xiii)	Need to expand the infrastructure facilities in Kendriya Vidyalaya – I OFT, and Kendriya Vidyalaya –II, HAPP at Trichy, Kerala	
	Shri Su. Thirunavukkarasar	813
(xiv)	Need to regulate the exorbitant and frequent rise in airfare between Kozhikode and Gulf regions Shri M.K. Raghavan	814
(xv)	Regarding utilisation of Indian share of water under the Indus Water Treaty	
	Shri Ravneet Singh	815
(xvi)	Need to remove country breed dogs in Tamil Nadu from the list of wild animals and to set up 'Country-breed Dog Welfare Board'	
	Dr. T. R. Paarivendhar	816-817
(xvii)	Regarding setting up of a Defence Research Centre at Dharmapuri, Tamil Nadu	
	Dr. DNV Senthilkumar S.	818

(xviii)	Regarding release of the pending dues of MGNREGA and PMAY along with other central Scheme to West Bengal	
	Prof. Sougata Ray	819
(xix)	Need to remove GST on handloom products	
	Shrimati Pratima Mondal	820
(xx)	Need for policies to ensure the rehabilitation of people involved in manual scavenging	
	Shrimati Chinta Anuradha	821
(xxi)	Regarding implementation of the recommendations made by LIC and GIPSA Boards for retired employees of LIC and PSGI	
	Shri Jayadev Galla	822
(xxii)	Need to withdraw the Import duty on cotton	
	Shri K. Subbarayan	823
(xxiii)	Regarding alleged violation of environmental norms by gravel mining leaseholders	
	Shri Hanuman Beniwal	824-825
REGIS	STRATION OF BIRTHS AND DEATHS	
(AME	NDMENT) BILL, 2023	826-839
	Motion to Consider	826
	Shri Nityanand Rai	826, 837-838
	Er. Guman Singh Damor	826-828

	Shri N. Reddeppa	828-830
	Shri Rahul Ramesh Shewale	830-832
	Shrimati Sangeeta Azad	832-833
	Shri Asaduddin Owaisi	833-837
	Clauses 2 to 18 and 1	839
	Motion to Pass	839
	SHORE AREAS MINERAL (DEVELOPMENT REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023	840-851
	Motion to Consider	840
	Shri Pralhad Joshi	840, 847-850
	Shri Gopal Shetty	841-842
	Shri Pinaki Misra	843-844
	Shri Krupal Balaji Tumane	845-846
	Shri Malook Nagar	846-847
	Clauses 2 to 24 and 1	850-851
	Motion to Pass	851
CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER AMENDMENT BILL, 2023		852-856
	Motion to Consider	852
	Dr. Virendra Kumar Shrimati Sandhya Ray	852, 854-855 852-853
	Kumari Goddeti Madhavi	853
	Shrimati Sangeeta Azad	854

Clauses 2 and 1	856
Motion to Pass	856
*ANNEXURE – I	
ANNEXONE - I	
Member-wise Index to Starred Questions	830
Member-wise Index to Unstarred Questions	831-838
*ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	839
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	840

 $[\]ensuremath{^{\ast}}$ Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 1, 2023/ Sravana 10, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 161, श्री दुर्गा दास उइके।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद आपको समय दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल में कोई स्थगन नहीं होता है।

... (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Dayanidhi Maran, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 161, श्री दुर्गा दास उइके।

(Q. 161)

श्री दुर्गा दास उइके: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न के प्रति उत्तर की अपेक्षा करता हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ... (व्यवधान) मध्य प्रदेश में जहाँ सर्वाधिक जनजातीय समाज निवास करता है, वहाँ पंचायत स्तर पर कौन-कौन सी जन-कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं? ... (व्यवधान) धन्यवाद।... (व्यवधान)

श्री किपल मोरेश्वर पाटील: महोदय, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने का कार्य निरन्तर चलता रहता है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल-जुलकर यह कार्य करती रहती

हैं।... (व्यवधान) पंचायत राज्य सरकार का विषय है।... (व्यवधान) इसलिए राज्य सरकार के माध्यम से पंचायतों को जितने ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, उतना ही उनका निष्पादन अच्छी तरह से होता है।... (व्यवधान) हमारे मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करता रहता है और बढावा देता रहता है।... (व्यवधान) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दो बार ट्रेनिंग दी जाती है।... (व्यवधान) ओरिएंटेशन, प्रबोधन के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।... (व्यवधान) दो साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुनश्चर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चूनकर आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, वे अपना कार्य कुशलता से करें।... (व्यवधान) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है, उसे कंप्यूटर देने के बारे में भी इसमें प्रावधान है।... (व्यवधान) केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत आवश्यक कई बुनियादी सुविधाएं हैं।... (व्यवधान) उन सुविधाओं को देने का काम किया जाता है।... (व्यवधान) जैसे पेय जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज आदि काम वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 10वाँ वित्त आयोग आया था तो उसका बजट 4,380 करोड़ रुपये था।... (व्यवधान)11वें वित्त आयोग का बजट 8 हजार करोड़ रुपये था।... (व्यवधान) फिर 12वाँ वित्त आयोग आया, उसका बजट 20 हजार करोड़ रुपये था।... (व्यवधान) फिर 13वाँ वित्त आयोग आया, उसका बजट 60 हजार 50 करोड़ रुपये था।... (व्यवधान) देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आयी।... (व्यवधान) पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया और 14वें वित्त आयोग में 2 लाख 292 करोड़ रुपये का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया।...

(व्यवधान) वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के लिए 15वाँ वित्त आयोग आया ।... (व्यवधान) उसमें अंतरिम वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।... (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक 2,36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ।... (व्यवधान) अंतरिम और मूल, दोनों को यदि जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने के लिए लगभग 2,97,555 करोड़ रुपये का प्रावधान फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश की जनजाति के विषय में सवाल पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान के पार्ट-9 के तहत पंचायत स्तर की सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।... (व्यवधान) मैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची माननीय सदस्य को दे दूंगा। हाल ही में हमारे मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है और विनती की है कि सभी ग्राम सभाओं को सक्षम करके केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वे गांवों तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से गांवों में जागृति लाने के लिए काम करें, ताकि जनजाति समाज के लिए जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उन्हें मिल सके।... (व्यवधान)

श्री दुर्गा दास उइके: अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि जनजाति क्षेत्र में पंचायतों को क्या-क्या विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे जनजाति क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो सके? ... (व्यवधान)

श्री किपल मोरेश्वर पाटील: अध्यक्ष जी, देश में जनजाति आबादी के विकास के लिए सरकार के कई मंत्रालय, जैसे हाल ही में जनजाति मंत्रालय के माध्यम से इसी सदन में उत्तर दिया गया था कि केंद्र सरकार के 42 ऐसे मंत्रालय हैं, जो जनजाति के लिए काम करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्पोनेंट के माध्यम से निधियों का आबंटन किया जाता है।... (व्यवधान) इसमें अपने-अपने मंत्रालय के माध्यम से निधियों का आबंटन होता है। राज्यों की सभी पंचायतों के विकास के लिए हर मंत्रालय उनके विकास के लिए निधि को आरक्षित करना जरूरी समझते हुए आरक्षण करता है।...

(व्यवधान) जैसे हमारे मंत्रालय के माध्यम से जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए 83 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से जनजाति क्षेत्र की पंचायतों के विकास के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं, जो अनेक मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।... (व्यवधान)

महोदय, सम्माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं दो-चार योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना', संविधान अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान का प्रावधान है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीवीटीजी का विकास करना है।... (व्यवधान) अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए शैक्षिक संगठनों को सहायता अनुदान देना है। ऐसी कई योजनाएं हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे मिलेंगे, तो मैं उन्हें निश्चित तौर पर पूरी जानकारी दूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न – 162, श्री राजमोहन उन्नीथन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

(Q. 162)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजमोहन उन्नीथन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न – 163, श्रीमती रीती पाठक जी।

... (व्यवधान)

(Q. 163)

श्रीमती रीती पाठक: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या हमारी सरकार का देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन और खाद्यान्न की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है? ... (व्यवधान) इसमें ऐसी कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें जैविक खेती के लिए किसान भाइयों को आगे आने वाले समय में उनकी खेती में फायदा होने वाला है? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने प्राकृतिक खेती और जैव उर्वरक के संबंध में प्रश्न किया है, भारत सरकार द्वारा लगातार यह प्रयास रहा है कि प्राकृतिक खेती और उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। निश्चित रूप से वर्ष 2015-16 के बाद से इस विषय पर विशेष बल दिया गया है।... (व्यवधान) उसका परिणाम यह रहा कि प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ा है। ... (व्यवधान) नेचुरल फार्मिंग की जो पद्धित है, वह एक बहुत अच्छी पद्धित है, जिसमें किसान जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत के माध्यम से भी खेती करता है। ... (व्यवधान) प्राकृतिक खेती के अंदर हमने अपना एक नया मिशन भी प्रारंभ किया है, जिसमें नेचुरल फॉर्मिंग है। ... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि नमामि गंगे का 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसमें प्राकृतिक खेती को लिया गया है।... (व्यवधान) आईसीएआर के द्वारा भी इसको सिलेबस में शामिल किया गया है कि नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए। ... (व्यवधान) उसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है। ... (व्यवधान) कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष क्लस्टर के रूप में भी तय किया गया है।... (व्यवधान) उन कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

इसके साथ ही, सिलेबस के अंदर 40 ऐसे पाठ्यक्रमों को भी डाला है। ... (व्यवधान) इसको ले कर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं और उसके लिए बजट का भी काफी प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) जिसमें लगभग 24 सौ 81 करोड़ रुपये का अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें 25 जैविक उर्वरकों की इकाइयों को भी तय किया गया है। ... (व्यवधान) इसके अंदरे जो अंदर जो इकाइयां लगाते हैं, उनके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि इसके ऊपर ज्यादा बल दे कर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा सकें। ... (व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने देश के युवाओं को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने एवं उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए मूल शिक्षा नीति में जैविक खेती से संबंधित कोई पाठ्यक्रम जोड़े जाने की योजना बनाई है? ... (व्यवधान) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, नेचुरल फार्मिंग वैसे तो किसान परंपरागत रूप से कई वर्षों से करता आया है।... (व्यवधान) लेकिन बीच में पेस्टिसाइड और दूसरी खाद के ऊपर किसान जाने लगे। ... (व्यवधान) लेकिन वर्ष 2015-16 के बाद में जिस तरह से इसके ऊपर काम किया गया और अभी जैसा कि नैचुरल फार्मिंग, जिसमें बीजामृत है, घनजीवामृत है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दे कर काम किया गया और इसके अंदर हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है।... (व्यवधान) इसको ध्यान में रखते हुए आज कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ... (व्यवधान) इसके लिए विशेषकर साइंटिस्ट्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में बताया कि सिलेबस के अंदर भी इसको डाला गया है और उसके 40 पाठ्यक्रम भी बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक युवा भी इसको सीख सकें और नैचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर सकें। ... (व्यवधान) इसी के साथ हमने 7100 ऐसे छात्रों को भी अलग से ट्रेनिंग दी है, ताकि वे मास्टर ट्रेनर के रूप में जा कर, अलग-अलग गांवों के अंदर किसानों के खेतों में जा कर भी वे ट्रेनिंग

दे सकें। ... (व्यवधान) साथ ही लगभग 20 ऐसे अखिल भारतीय स्तर के प्रोजेक्ट्स भी चयन किए गए हैं, जिनके ऊपर भी रिसर्च की जाए। ... (व्यवधान) निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके परिणाम के स्वरूप भी ऑर्गेनिक और नैचुरल फार्मिंग के अंदर उत्पादन में भी कई ऐसी क्रॉप्स आई हैं, जिनकी यील्ड में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। ... (व्यवधान) इसके ऊपर हमारी सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।... (व्यवधान) साथ ही, नए पाठ्यक्रम में भी हमने इसको शामिल किया है। ... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिन्टू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जैविक खाद को बढ़ावा देना आपने वर्ष 2015-16 से शुरू किया है। ... (व्यवधान) अभी तक मात्र 16 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है, जो इससे लाभान्वित हो पाए हैं। ... (व्यवधान) क्या सरकार आने वाले दिनों में और कब तक, कोई एक टाइम हो कि जिससे जैविक खादों पर हमारे पूरे देश के किसान आत्मनिर्भर हो सकें और विदेश से मंगाने वाले फर्टीलाइज़र से हम पूरी तरह से (अपने आप को मुक्त कर सकें? ... (व्यवधान) क्या ऐसी कोई योजना सरकार के पास है कि जैविक खाद को ही बढ़ावा दे कर हम पूरे देश के किसानों को विदेशी खादों से मुक्ति दिला सकें? ... (व्यवधान) ऐसी कोई योजना है तो सरकार पूरे विस्तार से बताने का कष्ट करें। ... (व्यवधान) श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि प्राकृतिक खेती का जो मिशन हमने प्रारम्भ किया है, उस मिशन के अन्दर इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। ... (व्यवधान) हमारी जो नेचुरल फार्मिंग या जैविक खाद है, उसके जो प्रोजेक्ट्स लगाता है, उनके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया है, तािक वह अधिक से अधिक जगह लगे।... (व्यवधान) मुझे यह

बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है और इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है।... (व्यवधान) पहले इसका एरिया लगभग 12 लाख हेक्टेअर था, जो अभी बढ़कर 59 लाख हेक्टेअर हो गया है।... (व्यवधान) वर्ष 2014-15 में जो एरिया था, वह 11 लाख

84 हजार हेक्टेअर था, जो बढ़कर 59 लाख हेक्टेअर हो गया है।... (व्यवधान) इसका एरिया बढ़ा है और इसके साथ ही साथ कैमिकल के प्रयोग में भी कमी आई है।... (व्यवधान) वर्ष 2013-14 तक 58,613 टन कैमिकल, पेस्टीसाइड्स का उपयोग होता था, जो अब घटकर 51,597 टन हो गया है, यानी लगभग 6 हजार टन पेस्टीसाइड्स का उपयोग देश में कम हुआ है।... (व्यवधान) मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब हम नेचुरल फार्मिंग और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसकी वजह से पेस्टीसाइड्स के उपयोग में भी देश भर में कमी आई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी.आर.बालू जी।

... (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 164 to 180 Unstarred Question Nos. 1841 to 2070) (Page No. 20 to 758)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

.

^{*}Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-2, श्री नित्यानन्द राय जी। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा

पटल पर रखता हूं:-

- (1) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), अधिनियम 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2021 जो 13 मई, 2022 के दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1/गृह/7/डीएनएच एंड डीडी/पीएसएआरए/नियम2020/20-21/285 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9826/17/23]

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9827/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 3, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. SANJEEV KUMAR BALYAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board of India, Ballabhgarh, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Animal Welfare Board of India, Ballabhgarh, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9828/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 4, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-
 - (i) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fourth
 Amendment Order, 2023 published in Notification No.
 S.O.2216(E) in Gazette of India dated 17th May, 2023.
 - (ii) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth)
 Amendment Order, 2023 published in Notification No.
 S.O.2345(E) in Gazette of India dated 29th May, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9829/17/23]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937:-
 - (i) The Multi-Source Edible Oils Grading and Marking Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.480(E) in Gazette of India dated 5th July, 2023.
 - (ii) The Vegetable Oils Grading and Marking (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.497(E) in Gazette of India dated 11th July, 2023.

(iii) The Poha Grading and Marking Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.229(E) in Gazette of India dated 28th March, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9830/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9831/17/23]

14.02 hrs

At this stage, Shri Kaushlendra Kumar, Shri Kodikunnil Suresh, Shri A. Raja and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 5, श्री कैलाश चौधरी जी।

... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं:-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9832/17/23]

- (3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9833/17/23]

- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9834/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-6, श्री ए. नारायणस्वामी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 7, श्री कैलाश चौधरी जी।

... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): सभापित महोदय, श्री बी. एल. वर्मा जी की ओर से, मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1396(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में कितपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9836/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 8, श्री अजय मिश्र टेनी।

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2021-2022 के लिए संघ के विभिन्न आधिकारिक प्रयोजनों हेतु राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा इसके प्रगामी प्रयोग और इसके कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम के बारे में 53वें वार्षिक आकलन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9837/17/23]

(2) (एक) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9838/17/23]

माननीय सभापतिः आइटम नम्बर १, डॉ. एल मुरूगन।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9839/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 10, श्री निशीथ प्रमाणिक।

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुमबुदुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुमबुदुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9840/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 11, श्री संतोष कुमार गंगवार जी।

... (व्यवधान)

14.02½ hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

20th Report

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): सभापित महोदय, मैं 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित समाप्त परियोजनाओं को ऋण दिए जाने के कारण परिहार्य हानि (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन संख्या 18 के लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.2 पर आधारित)' शीर्षक के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 12, डॉ.(प्रो.) प्रेमजीभाई सोलंकी।

... (व्यवधान)

14.03 hrs

CASTES AND SCHEDULED TRIBES

27th and 28th Reports

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2023-24):-

- (1) Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'Implementation of Reservation Policy in Government of NCT of Delhi including socio-economic development of Scheduled Castes/Scheduled Tribes' pertaining to the Ministry of Home Affairs.
- (2) Twenty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twentieth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the 3 Subject- 'Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Oil Companies and Status of allotment of Petrol and Gas agencies (CNG, PNG, LPG etc) and other related Agencies/Units to Scheduled Castes and Scheduled Tribes pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 13, श्री गिरीश चन्द्र जी। ... (व्यवधान)

14.031/2hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत (एक) जिला दिव्यांगजन विद्यालय, झारसुगुडा; (दो) वेलूगू, मदनापल्ले, आंध्र प्रदेश; और (तीन) कचाजुली फिजीकली हैंडीकैप्ड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।
- (2) भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।
- (3) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब।
- (4) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 101वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर गृह मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (5) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के

103वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

- (6) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 118वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (7) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं सभा पटल पर को रखे जाने में विलंब के बारे में समिति के 66वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 14, श्री प्रतापराव जाधव।

... (व्यवधान)

14.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

47th and 48th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापित महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में 47वां प्रतिवेदन।
- (2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नागरिक' डाटा सुरक्षा और निजता' विषय के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 15, श्री जगदम्बिका पाल जी।

... (व्यवधान)

14.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy:-

- (1) Action-taken by the Government on Recommendations/ Observations contained in Chapter–I of the Thirty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on Recommendations/ Observations contained in the Twenty-fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2022- 23) of the Ministry of Power'.
- (2) Action-taken by the Government on Recommendations/ Observations contained in Chapter–I of the Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on Recommendations/ Observations contained in the Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Review of Power Tariff Policy – Need for uniformity in tariff structure across the country'.
- (3) Action-taken by the Government on recommendations/ observations contained in Chapter–I of the Thirty-third Report (Seventeenth Lok

Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on Recommendations/ Observations contained in the Twenty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of New and Renewable Energy'.

... (Interruptions)

14.05 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE... Contd.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6, श्री ए. नारायणस्वामी।

EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.(Interruptions)

[Placed in Library, See No. LT 9835/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नंबर 10 ए, श्री पंकज चौधरी जी।

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापित महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं निम्नलिखित अधिसचूनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना सं 24/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-

शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 25/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय से दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9841/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16, श्री रमेश बिधूड़ी जी।

... (व्यवधान)

14.05½ hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 20th Report

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 17, श्री राकेश सिंह जी।

... (व्यवधान)

14.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

41st to 45th Reports

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, मैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' विषय के बारे में 36वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन ।
- (2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का आयात-प्रवृत्तियां और आत्मनिर्भरता का मुद्दा' विषय के बारे में 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
- (3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 38वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन ।
- (4) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 39वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन ।
- (5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 40वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 18, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कैलाश चौधरी जी।

... (व्यवधान)

14.061/2 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 52nd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) - Demand No.2 pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare *

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदय, आपकी अनुमित से श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) - मांग संख्या 2 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9820/17/23.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 19, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी।

... (व्यवधान)

14.07 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development*

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9821/17/23.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 20, श्री नित्यानंद राय जी।

... (व्यवधान)

14.07½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations / observations contained in the 244th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 237th Report of the Committee on 'Police-Training, Modernisation and Reforms' pertaining to the Ministry of Home Affairs*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'पुलिस-प्रिशक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9822/17/23.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 21, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी।

... (व्यवधान)

14.08 hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) - Demand No. 44 pertaining to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. SANJEEV KUMAR BALYAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2023-2024) - Demand No. 44 pertaining to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.(Interruptions)

 * Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9823/17/23.

_

माननीय सभापति : आइटम नंबर 22, श्री कैलाश चौधरी जी।

... (व्यवधान)

14.081/2 hrs

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2022- 2023) – Demand No. 16 pertaining to the Ministry of Cooperation*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): सभापित महोदय, आपकी अनुमित से श्री बी.एल. वर्मा जी की ओर से, मैं सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) - मांग संख्या 16 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9824/17/23.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 23, डॉ. एल. मुरुगन जी।

... (व्यवधान)

14.09 hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.(Interruptions)

....

 $^{^{\}ast}$ Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9825/17/23.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 24, श्री अजय भट्ट जी।

... (व्यवधान)

14.091/2hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Committee for the National Cadet Corps

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, आपकी अनुमित से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हं:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।" ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 25, श्री नित्यानन्द राय जी।

... (व्यवधान)

14.093/4 hrs

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2023*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन, अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ... (व्यवधान)

14.10 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? आप अपने सब सदस्यों को सीटों पर बैठाएं। पहले हाउस को ऑर्डर में आने दीजिए।

... (व्यवधान)

14.11 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri A. Raja, Shri Kaushlendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे मत कीजिए। यह सदन है। माननीय सदस्य प्लीज।

... (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 01.08.2023.

माननीय अध्यक्ष: आप केवल इसी विषय पर बात करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सलाह मत दीजिए। आप सीट पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप तब बोलेंगे, जब आपके सब सदस्य सीट पर बैठेंगे। पहले आप सभी को सीट पर बैठने के लिए बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन, अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill under the nomenclature "The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023" under Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business as the Bill vindicates the outrageous infringement of this Government upon the territory of the States. It is a design of digging up a graveyard for Cooperative Federalism. ... (Interruptions)

सर, यह विधेयक निर्वाचित दिल्ली विधान सभा की सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने से संबंधित शक्ति को वापस ले लेता है। मैं बड़े संक्षेप में चार बिन्दुओं पर बात करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : जब इस विधेयक पर डिटेल पर चर्चा होगी, उस समय आप यह बात बोलिएगा। आप केवल बताइए कि अधिकार है या नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं केवल पाँइट पर बात करना चाहता हूं। संविधान की सातवीं अनसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय हैं, इसलिए एनसीटी विधान सभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध और अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।... (व्यवधान) क्योंकि अनुच्छेद-239 के अनुसार स्पष्ट रूप से दिल्ली विधान सभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की उपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार के दृष्टिकोण के बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन जी, आप बोलिएगा, जब बिल पर डिबेट होगी। उस समय आप जितनी देर कहेंगे, उतनी देर हम आपको पर्याप्त मौका देंगे। अभी विषय यह है कि विधायी पावर है या नहीं। यही विषय है न? आप विद्वान हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, जब बोलने की इच्छा हो, क्या तब बोलने का मौका नहीं मिलेगा? ये क्या बात है?

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। मैं आपको पर्याप्त मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं संक्षेप में केवल चार बिन्दुओं पर बोलना चाहता हूं। एक बिन्दु पर पता नहीं आपने माइक चालू किया था या नहीं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका माइक चालू है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह तो आपने अभी चालू किया है। मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आदत मत बनाइए कि हमेशा माइक बंद रहता है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायलय के फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायलय के फैसले को बदलने की कोशिश और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

तीसरा नम्बर, विधेयक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करती है, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियों को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरशाहों पर नियंत्रण नहीं ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, if he has referred to Rule 72, then he should talk about Rule 72 only. ... (Interruptions)

सर, ये सिर्फ रूल 72 के कंपिटेंस के बारे में बोल सकते हैं। अगर कंपिटेंस के बारे में नहीं बोलते हैं तो तुरंत कंसीड्रेशन करने के लिए बोल दीजिए। हम मेरिट पर चर्चा के लिए तुरंत तैयार हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, यह आप का विषय है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, लास्ट प्वाइंट, यह विधेयक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। यह दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों के सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Thank you very much, Speaker Sir. ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप हमेशा सदन की नियम-प्रक्रिया के तहत बोलें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप माननीय नेता हैं। जब विधेयक पर डिटेल में चर्चा होगी तो मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, सदन नियम और प्रक्रियाओं के तहत चलता है। आप जिस विषय पर आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, केवल उसी विषय पर बोलें और नियमों के तहत बोलें।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, on three grounds.

माननीय अध्यक्ष : क्या आप नियम से बोलेंगे?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : हां, मैं नियम से बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप रूल्स की बात बोलना।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, मैं रूल्स की बात बोलूंगा। Under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am questioning the legislative competence of the Government with regard to legislation of the Bill. It is against the principle of federalism which is envisaged by the Constitution of India. Federalism is one of the basic features of the Indian Constitution and the elected Government in the State of Delhi does not have the administrative and legislative control over the bureaucrats which means that there is no meaning in having the Government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking the administrative and legislative control by the bureaucrats.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : नो, नो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री असाद्द्वीन ओवैसी जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी क्या सुनें?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम 72 में बोलिए। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, this is going to override the Supreme Court's judgment dated 11th May, 2023, in Government of NCT of Delhi versus

Union of India. Let me read the Supreme Court judgment. ... (Interruptions) I am talking about the legislative competence. ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, Rule 72 says: "If a motion for leave to introduce the Bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting, brief statements from the Member who opposes the motion and the Member who moved the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full discussion thereon."

Sir, Parliament is fully competent to pass this Bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is consideration and passing of the Bill.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the second point is that it is overriding the Supreme Court judgment dated 11th May, 2023. The Supreme Court judgment is very clear that the Delhi State Government has absolute power, administrative as well as legislative. The intent of this Bill is to override the Supreme Court judgment. ... (*Interruptions*)

The third point is that clause 7 of article 239AA of the Constitution of India has not been invoked so far in the last thirty years. In the preamble, if you see, there are two pages of preamble. ... (*Interruptions*) In the preamble, nowhere it is stated as to why clause 7 of article 239AA is invoked. The preamble is incomplete. Therefore, I oppose the introduction of the Bill.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): स्पीकर सर, मैं हमारे अपोज़िशन लीडर का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बगैर प्रधान मंत्री के हाउस चलने दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। यह चैस और लूडो का खेल हो रहा है। उधर से चैस खेला जा रहा है और इधर लूडो खेला जा रहा है।

सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि यह आर्टिकल 123 का वॉयलेशन है। एक सिम्पल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हैं। यह थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई, 2018 का पांच जजेस का जजमेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इसलिए मैं इस बिल की मुख़ालिफ़त कर रहा हूं। जब हमारे लीडर ऑफ अपोज़िशन ने बगैर प्रधान मंत्री के अलाऊ कर दिया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं डिवीज़न चाहूंगा, आप डिवीज़न कराइए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. As has been mentioned before, this Bill is well outside the legislative competence of Parliament because of the Supreme Court's past judgement in CA No.2357 of 2017 on 11th May, 2023 in the matter of Government of NCT of Delhi *versus* Union of India. Now, to override the Supreme Court judgement, the Government has brought forward a Bill. This is totally autocratic. ... (*Interruptions*) ...(व्यवधान) सर, आपने प्रेमचन्द्रन जी जो को चार बार बोलने का मौका दिया है। मुझे भी एक-दो बार बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान) I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the National Capital Territory of Delhi under Article 239AA of the Constitution. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल, मैं आपको बोलने का पर्याप्त मौका दूंगा। आप सदन को चलने दीजिए। आप सदन चलाइए। मैं आप सभी को बोलने के लिए पूरा मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मैं बिल का विरोध करता हूं।...(व्यवधान) आप भी हमारे साथ सहमत हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी को कल बोलने के लिए पूरा समय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, यह बिल पूरी तरह से गैर-कानूनी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कानूनन बात करें।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है, ...(व्यवधान) * Page 772 of Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि यह संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी, उपनेता हैं।

_

^{*} Not recorded

वह बोलते हैं कि ...(व्यवधान) * अगर मुझे ...(व्यवधान) *, तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, नो । मुझे ...(व्यवधान) * तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता?

आप सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि ...(व्यवधान) * मुझे ...(व्यवधान) * तो मैं बिल को इंट्रोड्युस कैसे करता? यह बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इन शब्दों को वापस लीजिए। ऐसे नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: सर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि यह जो बिल है, वह सब्सटैंटिव पॉलिसी नहीं है और कॉल एंड शकधर ने लिखा है कि, "When leave of the House to the moving of a motion has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the Government till the motion of no-confidence has been disposed of." This motion of no-confidence has not been disposed of. This is a substantive policy. ... (Interruptions) It is illegal. It will be challenged. This has no merit. आप रूलिंग दीजिए कि यह सब्सटैंटिव नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर।

_

^{*} Not recorded

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have four brief points.

First, the Bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi Government. By trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the Union Government appears to undermine the constitutional principle of federalism. मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं।

Secondly, the Bill infringes on the principle of representative democracy which is a basic feature of the Constitution. The Legislatures are accountable to their electorates. The electorates must have a say in who governs them. If the Delhi Government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, the fact is that their responsibility to the legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of the Government for its own officers. ... (Interruptions) You cannot give bureaucrats the authority that belongs to ... (Interruptions)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, actually the Government is day by day going autocratic. That is what everybody feels here. Ever since the first No-Confidence Motion has been brought in this House in 1963, there is no such precedence to discuss any substantive motion before the discussion on the No-Confidence Motion takes place. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल पर बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Moreover, it is very much against the Judiciary which the

Supreme Court has already ... (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Speaker, Sir, there are some very erudite

Members of Parliament here who know the law well. I am surprised that when

the legislative competence is being discussed under Rule 72 proviso, there is

no advertence at all to the actual Supreme Court Judgement or the Order

which the Supreme Court has passed. The Supreme Court has passed a

Speaking Order of seven pages in the Writ Petition filed by the State of Delhi

against Union of India.

Kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes

about legislative competence. Please understand. The Court says, however, if

Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is

within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to

the extent as provided in that law. The Government has brought out a law now

pursuant to the Supreme Court empowering it. So, how can you challenge the

legislative competence? I can understand you vote against it. ... (Interruptions)

You can vote against it. On a point of law, you cannot challenge this.

Legislative competence is there. ... (*Interruptions*)

14.26 hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Shri A. Raja and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : ओके । माननीय गृह मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में 239(कक) के अंतर्गत (ख) में स्पष्ट उल्लेख है कि उत्पन्न (क) की किसी बात से संघ राज्यक्षेत्र या किसी भी बात के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता है।... (व्यवधान) इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने इस सदन को दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की संपूर्ण सत्ता दी है।... (व्यवधान)

दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उठाया गया ।... (व्यवधान) हमारे बीजेडी के माननीय सांसद ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164(एफ) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकती है।... (व्यवधान) अत: इन सब पर जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं, वे राजनीतिक हैं। इनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।... (व्यवधान) संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है।... (व्यवधान) इसलिए बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैंने आपको पर्याप्त मौका दिया। आपका यह व्यवहार उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको फिर बता रहा हूं। पूरा देश देख रहा है। आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं। यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री श्री नित्यानन्द राय जी, आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों को नेम करना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाये रखने के लिए मुझे कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

14.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

15.00½ hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Hibi Eden, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री, श्री नित्यानन्द राय जी।

... (व्यवधान)

15.01 hrs

STATEMENT RE: NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023 *

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापित महोदय, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा शीघ्र विधान के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

^{*} Laid on the Table

15.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषय के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

(i) Regarding repair and four laning of Ankleshwar road to Maharashtra border and bringing it under the control of NHAI

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): भारत में इससे पहले इतनी तेजी से सड़कों का निर्माण कभी नहीं हुआ था यह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के उज्जवल भविष्य और मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गुजरात मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में अंकलेश्वर और दहेज से लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर तक सड़क की हालत अत्यंत खराब है। अंकलेश्वर से नए तरंग का रोड राज्य सरकार के नियंत्रण में है और नेत्र अंग से महाराष्ट्र बॉर्डर तक का हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अंकलेश्वर और दहेज प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसके चलते महाराष्ट्र के नंदूरबार तक के लोगों का आवागमन इस मार्ग पर होता है व्यवसाय तथा रोजगार के लिए अंकलेश्वर आने वाले लोगों का उपरोक्त मार्ग पर निरंतर आवागमन होने के साथ ही ट्रकों द्वारा माल ढुलाई का कार्य भी इसी मार्ग से होता है इस मार्ग पर जगह-जगह गड़ढे होने तथा सड़क के टूटी होने के कारण अक्सर वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा इसके चलते कई समस्याएं रहती है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि अंकलेश्वर से महाराष्ट्र बॉर्डर तक के इस पूरे रोड को

-

^{*} Treated as laid on the Table

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में लेकर तत्काल इसकी मरम्मत की जाए और शीघ्र ही इस रोड को फोरलेन में तब्दील किया जाए।

(ii) Need to increase the amount of PM Kisan Samman Nidhi Yojana

श्री रिवन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि करोड़ो किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। खास कर छोटे और मझौले किसान जिनकी जीविका का एक मात्र साधन खेती है। महोदय मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ और मेरा संसदीय क्षेत्र भी एक कृषि आधारित क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में लोग सब्ज़ी, फल और फूलों की खेती करते है उनके लिए किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही उपयोगी साबित हुई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की तरफ़ से धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि किसान सम्मान निधि को छः हज़ार रूपये से बढ़ाकर कम से कम एक हज़ार रूपये प्रति माह या दस हज़ार रूपये सालाना करने की कृपा करें।

(iii) Need to resolve the issues pertaining to identification and classification of various castes in the county

कुँवर पृष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरप्र): उत्तरप्रदेश अन्य पिछडा वर्ग सूची में क्रमांक 46 पर मुस्लिम जाति नद्दाफ, धुनियाँ, मंसूरी के साथ हिंदू जाति यथा- करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्डेरे को जोडकर गजट किया गया है इस कारण उनकी सामाजिक पहचान के प्रति संशय उत्पन्न होने के साथ साथ इनको पिछडा वर्ग का संवैधानिक लाभ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है | इन हिंदू जातियां का काम हाथ से रुई को धुनना था जो अंग्रेजों के क्रूरशासन से पूर्व से धुनियाँ नाम की जाति से जाने जाते रहे हैं पर कार्डर से परिवर्तित होकर आजकल करण, कर्ण,कड़ेरे,कन्डेरे,कर्णरे,कई नामों से जानी जाती है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1999 में करण. कर्ण.कडेरे.कन्डेरे नामों से अन्य पिछडा वर्ग में गजट किया गया था परन्तू समान रोजगार धंधा होने के कारण मुस्लिम जातियां नद्दाफ, धुनियाँ, मंसूरी के साथ क्रमांक-46 पर जोड़ दिया था जिसके कारण हिंदू समाज की जातियों को विभिन्न परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज के साथ गजट में जोड़ दिए जाने के कारण अनेक सामाजिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति में भी प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। परिणामस्वरूप इन हिंदू जातियों में धर्म परिवर्तन की भी प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि करण, कर्ण, कड़ेरे, कन्डेरे जातियों की तरह देश में सभी पिछड़ा वर्ग की जातियों से सम्बंधित विषयों के निपटान के लिए शीघ्रातिशीघ्र संवैधानिक उपचार करके इन सभी जातियों को राहत प्रदान की जाए।

(iv) Need to construct an over-bridge on N.H. 9 near Sorkhi Village in Hansi Tehsil in Hisar Parliamentary Constituency

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): हिसार लोक सभा क्षेत्र के हांसी तहसील का सोरखी गांव नेशनल हाईवे 9 पर आबाद है जिसकी आबादी लगभग 12000 है। साथ ही उसके आसपास के 10-12 गावों के लोगों का आवागमन सोरखी गांव से होता है और लोग बड़ी संख्या में सोरखी बस स्टैंड से हांसी, हिसार, रोहतक और दिल्ली की ओर रोज़ाना सफर करते हैं। इसके अलावा, एनएच-9 दोनों ओर सरकारी स्कूल, सीएचसी अस्पताल, श्मशान घाट, पुंलिस चौकी, वाटर बॉक्स आदि होने के कारण यहां लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों तरफ से आना जाना रहता है। नेशनल हाईवे संख्या 9 पर वाहनों की तेज रफ़्तार तथा गांव के बीच बने बस स्टैंड होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 6 महीनों में 27 लोग आकस्मिक जान गवां चुके है, साथ ही ग्रामीणों के 50-60 पशु धन अपनी जान गवां चुके है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सार्वजनिक हित एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु हांसी तहसील के गांव सोरखी के निकट नेशनल हाईवे नंबर 9 पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए तािक भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग जाए और दोनों ओर बसी आबादी को आवाजाही में आसानी रहे।

(v) Need to correct the style of name of 'Bhoyarpawar caste as 'Bhoyar Pawar' in the Central list of OBCs

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): केंद्रीय राजपत्र के ओबीसी सूची में भोयरपवार जाति को एक साथ ही दर्शाया जाने के कारण जिन लोगों ने अपनी जाति पवार लिखा है उन्हें केंद्र में आरक्षण कि सुविधा नहीं मिल रही है। इस सूची में भोयरपवार के बीच में अल्पविराम (,) डालने के (भोयर, पवार) लिए विगत कई वर्षों से मै सम्बंधित मंत्रालय में कई बार पत्राचार करने के साथ-साथ माननीय मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों से अभाभोप महासंघ एवं युवा भोयर पवार मंच के लोगों के साथ मिल कर निवेदन भी दे चुका हूँ। मेरा माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय का जल्दी संज्ञान लेते हुए उचित कारवाही करने की कृपा करें ताकि भोयार और पवार जाति के लोगों को जल्दी न्याय मिल सके और सरकारी नौकरियों में वे भी आरक्षण की सुविधा का लाभ ले सकें।

(vi) Need to constitute a regulatory body to monitor the negative impacts of social media on children and youths of the country

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): किसी भी देश के बच्चे और युवा देश का भविष्य होते हैं। उनकी सोच, संस्कार ही तय करते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाकर रातो रात सेलिब्रिटी होने की सोच युवा वर्ग ही नहीं बिल्क छोटे बच्चों में भी घर कर रही है। ज्यादा से ज्यादा व्यू, लाईक, कमेन्ट के चक्कर में अब ये प्लेटफार्म अच्छे कंटेन्ट से विहीन, नकारात्मकता और अश्वीलता के अड्डे बन चुके है जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर दिख रहा है। ये बात सुनने में भले ही साधारण दिख रही है। लेकिन ये समस्या बहुत ही घातक असर डाल रही है विशेषकर युवा और बच्चों पर। इन प्लेटफार्मों पर क्रेटेन्ट विडियों या रिल्स आदि को कानून या कोई नियंत्रणकारी संस्था बना कर मॉनिटर करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के बच्चे और युवा वर्ग को विनाश की तरफ उन्मुख होने कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। शार्टकट से सेलिब्रिटी होने के चक्कर में परिश्रम और शिक्षा की तरफ युवाओं का रूझान रील युग में भटकाव की तरफ हो रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उपरोक्त बातों पर सरकार संज्ञान ले और इस संबंध में कुछ सकारात्मक करे।

(vii) Regarding implementation of Garib Kalyan Yojana in Odisha

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): There were as many as 471 districts in India in 1992 as against a total of 300 districts in India in 1952. This means that there was a rise of 57% of districts at the All India level within a span of 40 years as against absolutely no rise in Orissa. During 1993-94, Odisha converted 13 existing districts into 30 districts. Till then, further district reorganization has not been made, though there have been agitations in different parts of Odisha demanding new Districts including a new District of Padampur in the Bargarh District of my Parliamentary Constituency. That apart, there are 58 Sub-Divisions in Odisha that needs to be further bifurcated including the formation of a Sub-Division in Brajrajnagar AC in the district of Jharsuguda, part of my Parliamentary Constituency. Similarly, the Odisha government has not reorganized blocks in the State during the last four decades, the last one was made in 1984, putting the nos of Blocks at 314. Now, the time has come for the bifurcation of large Blocks and the formation of new Blocks in Odisha including the bifurcation of Lakhanpur Block in Jharsuguda having 33 Gram Panchayats into 3 Blocks and the formation of a new Melchhamunda Block in the District of Bargarh. Though the formation of Districts/Sub-Divisions/Blocks is a State Subject under the federal system, I request the Hon'ble Union Minister of Rural Development to impress upon the Government of Odisha for bifurcation and formation of new Small Districts, including Padampur, new small Sub-divisions in Odisha including one

additional one in Jharsuguda District & new small Blocks in Odisha including two more in Lakhanpur Block of Jharsuguda District and one in Mulchamunda area in Bargarh District to make administration transparent and closer to the people and successful implementation of the Garib Kalyan Yojana of the Central Government led by the Hon'ble Prime Minister Sri Narendra Modi.

(viii) Need to include Cancer under notified disease category

श्री संजय सेठ (राँची): कैंसर की बीमारी देश की बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में यह जिस गित से बढ़ रही है, वह भयावह है। इस दिशा में हमें ठोस काम करने की आवश्यकता है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक भारत में औसतन हर नौवें आदमी को कैंसर है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आँकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच भारत में साढ़े 38 लाख से भी अधिक कैंसर मरीज़ों की मौत हुई है। मेरे राज्य झारखंड में भी इसी दौरान 93 हजार 648 लोगों की मौत कैंसर से हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में हमने देश के कल्याण लिए कई काम किए हैं। मेरा अनुरोध है कि कैंसर की भयावह स्थिति के मद्देनज़र इसे तत्काल अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में डाला जाए। इससे हम हर केस की ट्रैकिंग कर सकेंगे। और फिर हमारे पास सटीक आँकड़े भी होंगे। इससे हम कैंसर से ज़्यादा मज़बूती से लड़ पाएँगे। कैंसर से संबंधित मामलों के लिए बनी संसदीय समिति पहले ही इसकी सिफ़ारिश कर चुकी है। अब जरूरी है कि कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में डाला जाए। इसके रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाए तािक इसकी भयावहता को हम रोक सकें।

(ix) Need to include Dhauli-Ratnagiri-Lalitgiri-Udayagiri-Langudi Buddhist Circuit under the Swadesh Darshan Scheme

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Odisha has huge Buddhist Tourism potential. Archaeological exploration and excavations have established more than two hundred Buddhist sites across the State. The Buddhist triangle popularly known as the Diamond Triangle of Odisha comprises tourist attractions. The Rock Edict-XIII of Emperor Ashoka of 3rd Century B.C. found at Dhauli near Bhubaneswar bears testimony to the acceptance of Buddhism spread to rest of the world after Kalinga War from this very place of present day Odisha. The Buddhist remains in the form of Chaityas, Stupas, Monasteries and the relic Casket found here aptly establish this Circuit at par with Nalanda and Bodhgaya. In view of the above, Odisha deserves to be included in the list of Buddhist Circuits announced by Ministry of Tourism under Swadesh Darshan Scheme. Final Revised DPR was submitted vide DOT letter No. 8358/7SM dated 24.09.2019 to Government of India. A reminder in this regard was communicated vide DOT letter bearing No. 5562/TSM dated 17.07.2020 to the Ministry of Tourism, Govt. of India. I request the Hon'ble Minister of Tourism to approve the Dhauli-RatnagiriLalitgiri-Udayagiri-Langudi Buddhist Circuit of Odisha under the Swadesh Darshan Scheme.

(x) Need to declare Bihar as a drought-prone State

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के बड़े भू-भाग में अनावृष्टि के कारण किसान धान की रोपनी में परेशानी झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ प्रकृति की मार वही दूसरी ओर सरकार के द्वारा विद्युत आपूर्ति में भारी कमी की समस्या से भी किसान त्रस्त हैं। अभी धान की रोपनी का समय है, जैसे तैसे किसान रोपनी कर रहे हैं कही रोपन का काम बंद है तो कही रोपा पानी के अभाव में सुख रहा है। फिर भी किसान पम्पिंग सेट के माध्यम से बारिश होने की उम्मीद में धान रोप रहे है और रोपना चाहते भी है। अभी तक पेयजल का अभाव बना हुआ है वर्षाभाव के कारण भूजल स्तर अभी भी नहीं सुधरा है। अतः सरकार से आग्रह है कि पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।

(xi) Regarding inclusion of Balurghat, Buniadpur and Gangaram Railway Stations under the Amrit Bharat Station Scheme

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Indian Railway is undergoing a major transformation to boost infrastructure and enhance the passenger experience and travelling comfort. The Government is working hard on the modernisation of existing infrastructure. In this context, the redevelopment of railway stations is of immense importance. The Amrit Bharat Station scheme envisages development of stations on a continuous basis with a long-term approach. It involves preparation of Master Plans and their implementation in phases to improve the amenities at the stations like improvement of station access, circulating areas, waiting halls, toilets, lift/escalators as necessary, cleanliness, free Wi-Fi, kiosks for local products through schemes like 'One Station One Product', better passenger information systems, Executive Lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping etc. The Indian Railways has identified some railway stations across the country including the border areas for redevelopment under the Amrit Bharat Station Scheme in the first phase. The allocation of funds for the development and maintenance of stations is done zonal Railway-wise. In this regard, I request the Government to include the Balurghat, Buniadpur and Gangaram Railway Stations under the Amrit Bharat Station Scheme.

(xii) Regarding depleting water table and shortage of water in Sheohar Parliamentary Constituency

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले सहित उत्तर बिहार में सुखाड़ की स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। इस बार मानसून की बेरुखी से पूरा उत्तर बिहार त्रस्त है तथा आधा सावन बीत जाने के बाद भी पूरा इलाका पानी के लिए तरस रहा है। तालाब, जलाशय एवं नहरें सूखने लगे है, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है तथा वर्षा एवं पानी के अभाव में धान की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है और फसलें सूख गई है। इन सब से बिहार के किसान काफी ज्यादा परेशान है। वर्षों से बिहार में पानी की ऐसी किल्लत कभी नहीं देखी गई थी। शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर नीचे चले जाने से 100 फीट तक गहरे गड़े चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। इससे आम लोगों के समक्ष जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि भूजल स्तर में गिरावट का यही क्रम जारी रहा तो स्थित आगे और भी गंभीर हो सकती है। बिहार जैसे राज्य में भूजल स्तर में गिरावट का सबसे प्रमुख कारण बिहार में नल जल योजना में व्याप्त कमी और अनियमितताओं के चलते पानी का अपव्यय एवं बर्बादी है। अतः सरकार से अनुरोध होगा कि बिहार में व्याप्त जल संकट की स्थिति के निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा सुखाड़ के कारण किसानों के लिए उचित मुआवजा राशि दिलाई जाये।

(xiii) Need to expand the infrastructure facilities in Kendriya Vidyalaya – I OFT and Kendriya Vidyalaya – II, HAPP at Trichy

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): About 40 students who have appeared for Standard X Board Examination in 2022-2023 from KV/GOC were disturbed about the admission of their children in Class XI. Majority of the parents are of transferable category employees and they cannot afford private schools. It is learnt that four class rooms are required additionally for conducting Class XI in the existing premises and last year, only three students got admission in the KV/OFT & HAPP, Trichy. Others were forced to opt private schools by paying exhorbitant fees and they faced untold hardships and monetary losses. As this is the long pending demand of my Trichirappalli Constituency, I humbly urge upon the Hon'ble Minister of Education to kindly take immediate necessary action to ensure admission to the Class X pass out students in the KV/GOC itself by improving the infrastructural facilities on warfooting or at the KV-I/OFT & KV-II/HAPP, Trichy at the earliest.

(xiv) Need to regulate the exorbitant and frequent rise in airfare between Kozhikode and Gulf regions

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I raise a serious issue that affects not only the people of my constituency but also the entire Malabar region as a whole. Our people depend upon this air connectivity for tourism, health, export and agricultural needs. As you are already aware, Calicut airport is one of the highly profitable airports of the country. When the 26 acres of land were available for nearly 35 years on the eastern side of airport, no efforts were made to acquire the same. Now the haste shown in curtailing the runway is highly questionable. In recent years certain people with hidden intentions are trying to cut the wings of this airport for certain private sector airports. These lobbyists are finding one reason after another to stop developmental works at Calicut airport. This airport as you already know is our gateway to Gulf and is used by large number of people. Instead of mutual blame gaming, both centre and state must take joint efforts to do everything possible to protect Calicut airport. I also request the Hon'ble Minister of Civil Aviation to find a solution to regulate the exorbitant and frequent rise in airfare between Kozhikode and Gulf regions which affects Pravasis very badly.

(xv) Regarding utilisation of Indian share of water under the Indus Water Treaty

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Punjab was once comfortably placed in terms of water availability but over the years, the situation deteriorated and there is huge shortage of water in the region. However, it is an irony that most of India's share of water borne out of Indus Water Treaty of 1960 has been flowing into Pakistan. Shahpur Kandi National Project aims to utilize the full water of River Ravi in Indian territory. This project which has been badly delayed has the potential to irrigate 5000 hectares of land in Punjab and 31,000 hectares of land in Jammu and Kashmir's Sambha and Kathua districts. This project besides helping in lifting socio-economic conditions of the people also has immense tourist potential. Due to decrease in flow at Harike wetland and deforestation etc. in the catchment area, the wetland is reducing drastically in last few years. Besides, it receives large quantities of untreated industrial effluents from surrounding cities through inflowing rivers, which is threatening its very existence. I urge upon the Government to take urgent measures towards speedy completion of Shahpur Kandi Project and better management of Harike wetland to ensure maximum utilisation of Indian share of water under Indus Water Treaty in the larger interest of Punjab.

(xvi) Need to remove country-breed dogs in Tamil Nadu from the list of wild animals and to set up 'Country-breed Dog Welfare Board'

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): In Tamil Nadu the livelihood of more than 50 lakh people living in the districts of Virudhunagar, Erode. Tirunelvelli, Tenkasi, Tuticorin, Salem, Namakkal Theni, Tiruchirappalli, Pudukkottai. Tanjore, Sivaganga, Ramanathapuram and Madurai are dependent on the indigenous breed of dogs. During the 'Chithirai and "Aadi" festivals celebrated in the northern and southern districts of Tamil Nadu, respectively, these country breed dogs are used to hunt rabbits and the villagers offer the same before God in temples. These Hindu festivals are held annually with religious fervour upholding the cultural ethos. Similar to the Jallikattu bulls, these indigenous breed of dogs are attached to the lives and cultures of Tamils. This indigenous breed of dogs have in them a sense of caution, loyalty, boldness and adaptability that is why our ancient kings had a separate "Country breed dog force" in their army. If two or three dogs come together, they can even defeat a horse or an elephant. Officials of forest department put so many restrictions and threats to the tribal people living in forests and adjoining areas for using country-breed dogs for hunting and to drive away the dangerous animals from entering into their habitats. As the rabbits and country-breed dogs are in the list of wild animals, and forest officials put a ban on such activities continuously. I urge that the Union Government should give approval for removing the country-breed dogs and

rabbits from the list of wild animals as per the long pending demand of the people who rear such breeds. There is no recognition or permission for reproducting country-breed dogs in a traditional way. I urge that Union Government should give approval for this on an urgent basis. There should be a separate law for protection of country-breed dogs besides setting up a *Country-breed Dog Welfare Board' at the national level by the Union Government. Reproduction centers should be opened in all the districts for protection and reproduction of these indigenous breeds of dogs. Drugs should be provided free of cost to all the district veterinary hospitals for treating dangerous diseases like brain fever seizures, rabies in country-breed dogs caused by 9 types of viruses including the parvovirus. I urge that indigenous breed of dogs should be aptly used in important force like the Army, Police and disaster relief force.

(xvii) Regarding setting up of a Defence Research Centre at Dharmapuri, Tamil Nadu

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): I would like to draw the kind attention of the Government towards the initiative taken by DRDO for setting up Defence Research Centre in my Parliamentary Constituency which was proposed in the year 2010 at Dharmapuri, Tamil Nadu. The State Government and District administration have identified the land for the said purpose at Nekkundhi village, Dharmapuri District. The DRDO officials had also inspected the said site. Nevertheless the proposed project has not yet commenced. Dharmapuri is an industrially backward area and hence the role of this project as an employment generator and in aiding the district to become industrially rich area gains significance. As estimated, this DRDO Research Centre will generate employment for 15,000 people and will act as a push for the Make in India initiative. I would, therefore, urge upon the Hon'ble Minister of Defence to direct the DRDO to forthwith commence the work towards expediting the proposed project and commence the research centre for betterment of Dharmapuri District.

(xviii) Regarding release of the pending dues of MGNREGA and PMAY along with other Central Schemes to West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I would like to raise an important issue regarding sanction/release of MGNREGA funds worth 7,000 crore dues to the state of West Bengal. The funds allocated for other central welfare plans, such as rural-road building, PM Awas Yojana and scholarships for needy students are also not being released on time to the State of West Bengal. The Chief Minister of West Bengal has requested several times for the release of Central dues of MGNREGA pertaining to the State of West Bengal. Despite being deprived of the Central funds, West Bengal had been able to create 10 lakh man-days, under which jobs have been provided to 10 lakhs job-card holders. Regarding the housing scheme, both the Union and the State governments have their shares of contribution under the scheme. Despite the Union Government's reluctance to release Central funds, the State Government is determined to go ahead with its project for developing rural road network in the state. I urge upon the Union Government to release the pending dues of MGNREGA and PMAY along with other Central Schemes to the State of West Bengal.

(xix) Need to remove GST on handloom products

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Handloom Sector is one of the largest unorganized sector in India and forms an integrated part of Rural and Semi Rural livelihood. The highly decentralized industry mostly has women in its workforce. The imposition of GST on this sector has led to a creation of an undesirable environment restricting growth. A weaver is attracting GST at every stage of production starting from buying yarn to dying the cloth. This results in an increase in the price of finished products. Due to this, machine made products are preferred due to lower price. Handloom products which were highly in demand have been negatively impacted. This coupled with the blow of pandemic has pushed thousands of weaver into poverty and change of occupation. In order to protect the cultured heritage of handloom production and safeguard the weaver the Government must remove the GST.

(xx) Need for policies to ensure the rehabilitation of people involved in manual scavenging

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): The inhumane and discriminatory practice of Manual Scavenging involves individuals, from marginalized communities, being forced to manually clean human waste from dry latrines, sewers, and septic tanks. This practice violates the fundamental rights of life and equality of these individuals. The persistence of manual scavenging is a grave violation of human rights, dignity, and equality. Data from the Ministry of Social Justice and Empowerment indicate that thousands of individuals, continue to engage in manual scavenging across the country as their only source of employment. The Supreme Court, in Safai Karamchari Andolan v. Union of India 1 has highlighted the need for comprehensive rehabilitation measures, including alternative livelihood opportunities, skill development, and education for affected individuals. To combat this issue, strict adherence to existing laws, such as the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, is crucial. The Central Government must allocate sufficient funds for the development of mechanized cleaning technologies, proper sanitation facilities and ensure that it reaches the target beneficiaries. I request the Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment to form policies to ensure the rehabilitation of people involved in manual scavenging.

(xxi) Regarding implementation of the recommendations made by LIC and GIPSA Boards for retired employees of LIC and PSGI

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Life Insurance Co-operation and Public Sector General Insurance Companies family pensioners have been representing that they are being paid family pension @15% of basic pay at the time of retirement without any increase for nearly 3 decades, but, family pension for retired employees of RBI, NABARD, RRBS and PSBS enhanced to 30% without any ceiling. I feel that there should not be any discrimination in pension between these two categories of employees. The Board of LIC and the Governing Body of General Insurer's Public Sector Association have recommended for enhancing family pension to 30% without any ceiling during 2019 and 2021 respectively. But, decision from Government of India is still pending. Rise in inflation and cost of living has gone up by leaps and bounds and it is not easy for family pensioners to cope up with paltry family pension. Hence, I request the Hon'ble Finance Minister to implement the recommendations made by LIC and GIPSA Boards for retired employees of LIC and PSGI.

(xxii) Need to withdraw the Import duty on cotton

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Textile and Apparel Sector in India is facing a historically unprecedented financial crisis. This sector provides major employment. Minister of Textile reports that 45 million people are directly employed and 60 million are employed in the allied Industries. Since 2014, these sectors have suffered a severe setback. Global market share of textile and apparel has declined significantly. This is due to neglect and wrong policies and Demonetisation, GST, high cost of power, fluctuating cost of cotton and polyester yarn etc. The 11% import duty imposed on cotton has created uneven competition in International Market. Policies on Polyester Manufacturing Sector and Man-made Fibre add to the crisis. Russia Ukraine war, International Financial Crisis, inflation etc have been also impacted. Banks refuse fresh credit to textile mills at a time when they most need financial support. In order to save the industry, measures such as production of cotton yarn and Value Added Products through NTC mills, withdrawal of import duty of 11% on cotton, extension of moratorium on EMI offered for 3 years to 6 years is needed. Extension of one year moratorium to repay principal amount and provision of fresh loans through banks may be made. Policies may be made in consultation with the Textile Manufacturers Associations.

(xxiii) Regarding alleged violation of environmental norms by gravel mining leaseholders

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान राजस्थान में बजरी लीज धारकों द्वारा उन्हें बजरी खनन हेतु प्राप्त पर्यावरण अनापित्त की शतों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थित की तरफ आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि बजरी लीज धारकों द्वारा नदी में तय सीमा से ज्यादा गहराई में बजरी का खनन किया जा रहा है। जिससे निदयों का अस्तित्व संकट में आ गया है। बजरी खनन हेतु संबंधित बजरी लीज धारकों ने राजस्थान के राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' सिहत अन्य कई प्रकार के हजारों पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है। राजस्थान का पर्यावरण भौगोलिक परिस्थित के अनुरूप संवेदनशील है। बजरी लीज धारकों द्वारा प्राप्त किए गए पर्यावरण कलीयरेंस के विषमताओं ने पर्यावरण के लिए चिंता का कारण खड़ा कर दिया है। कथित बजरी लीज धारकों द्वारा खनन हेतु की गई मनमर्जी और नदियों को मनमाफिक रूप से खोदने के कारण राजस्थान की जलीय पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार बजरी लीज धारकों ने अवैध बजरी के खनन के नाम पर ना केवल राजस्थान में नदियों के अस्तित्व को संकट में डाला बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले कारकों के साथ भी खिलवाड़ किया है। भारत सरकार द्वारा बजरी खनन हेतु जो पर्यावरण अनापित्त इन्हे दी उसकी शर्तों का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है।

अतः बजरी लीज धारकों द्वारा ली गई पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अवहेलना करने से हुए नुकसान को मद्देनजर रखते हुए तत्काल केंद्र सरकार के स्तर से निष्पक्ष विशेष टीम का गठन कर के पर्यावरण संबंधी संस्कृति की विवेचना करवाते हुए पर्यावरण हानि का आकलन करवाया जाए और तत्काल प्रभाव से इन बज़री लीज धारकों की पर्यावरण अनापत्ति रद्ध करके संबंधित बजरी लीज धारकों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों में मुकदमा दर्ज करवाते हुए तथा इन पर आर्थिक

दंड आरोपित करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार के खनन हेतु ईसी हासिल करने हेतु प्रतिबंधित किया जाए ताकि देश में एक नजीर पेश हो सके।

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 28, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

... (व्यवधान)

15.02 hrs

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2023

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापित महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इंजीनियर गुमान सिंह दामोर जी।

... (व्यवधान)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): माननीय सभापित महोदय, मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्ष 1969 के बाद पहली बार इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापित महोदय, जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 हर दृष्टि से और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान) हमारे जो मित्र सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, इस राष्ट्र को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। ... (व्यवधान) मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हंगामे से यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। ... (व्यवधान)

इस बिल के जो मुख्य बिंदू हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान) पहले हमारा जो विधेयक है, वह वर्ष 1969 में लागू हुआ था। ... (व्यवधान) उसके पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। ... (व्यवधान) समय के साथ टैक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस बिल में संशोधन आवश्यक है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जन्म के समय प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसका रिजस्ट्रेशन हो, उसके जन्म का स्थान निर्धारित हो, उसका नाम निर्धारित हो और उसकी राष्ट्रीयता निर्धारित हो। ... (व्यवधान) United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का पंजीकरण किया जाएगा, जन्म से ही उसको राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा और जहां तक संभव हो, माता-पिता से उसकी पहचान होने और उनके द्वारा उसकी देखभाल किए जाने का भी अधिकार उसे होगा। ... (व्यवधान) ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिनके कारण आज यह संशोधन आवश्यक हो गया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापित महोदय, हम देश में 'एक राष्ट्र, एक डेटा' पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं। ... (व्यवधान) अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर चीज का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। ... (व्यवधान) डिजिटलाइजेशन होने के कारण आज हमको यह संशोधन करना पड़ रहा है। ... (व्यवधान) इस संशोधन से आम जनता को बहुत फायदा होगा। ... (व्यवधान) यह संशोधन करने से पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसके संबंध में आम जनता से राय ली गई थी और जो

हमारे स्टेकहोल्डर्स हैं, उनसे भी राय ली गई थी। ... (व्यवधान) उन सबकी राय लेकर इस बिल में संशोधन किया है।... (व्यवधान) इस बिल के प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं।... (व्यवधान)

पहले की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा में आधार, एडॉप्शन और डेटाबेस सम्मिलित नहीं किए थे।... (व्यवधान) अब जो हमारी नई परिभाषा होगी, उसमें इनको सम्मिलित करेंगे।... (व्यवधान) हमारे रिजस्ट्रेशन का डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है।... (व्यवधान) वह इसमें होगा।... (व्यवधान) हमारे जन्म और मृत्यु का जो पंजीयन है, यह मूलत: राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर एक मुख्य रिजस्ट्रार होता है।... (व्यवधान) उस मुख्य रिजस्ट्रार के कर्तव्यों को बढ़ाया गया है।... (व्यवधान) डिजिटलाइजेशन करने के संबंध में उनको भी निर्देश जाएंगे।... (व्यवधान) जो हमारा जन्म और मृत्यु का रिजस्ट्रेशन होगा, अलग-अलग जगहों पर इसका उपयोग होना है।... (व्यवधान) जैसे मतदाता सूची में, जो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या रिजस्टर है, उसमें और इसका उपयोग मुख्यत: बीमा, सम्पत्ति और बैंक संबंधी जो दावे, पूर्ति होंगे, उनमें भी होगा।... (व्यवधान)

इस प्रकार से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।... (व्यवधान) मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूँ कि इस राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण बिल को ध्विन मत से पारित करें।... (व्यवधान) धन्यवाद।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri N. Reddeppa. Please conclude in just two minutes.

... (Interruptions)

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairperson Sir, thank you, for giving me this opportunity. I have no disagreement with the intent and nature of the Bill. ... (*Interruptions*) I would like to voice certain ambiguities and express my congratulations to the Government on certain points. ... (*Interruptions*)

My first point relates to the introduction of a national database. ... (*Interruptions*) The population of the country is growing, and it is necessary to

have a dedicated person to oversee the matters of births and deaths. ... (*Interruptions*) The introduction of a national database, which is to be maintained by the Registrar General is a welcome step as having knowledge of the population is the first step to account for it and support it better. ... (*Interruptions*)

Sir, the second point relates to mandatory provision of Aadhaar details. The Bill amends the Act to acknowledge families of different kinds such as those including adoption and surrogacy. ... (Interruptions) It also broadens the application of the term 'informant' in case of the registration of birth or death, by accounting for jailors in case of births in jail or the managers of hotels or lodges in case of births in such a place, among others. ... (Interruptions) However, necessary provision of Aadhaar details of parents and informants to register a birth or death with the Registrar is not entirely clear. ... (Interruptions) It would be better if the Government could specify what they hope to achieve by having such information at hand, especially when anyone can, at a later date, request for a person's birth or death records, and have their family's information at their fingertips. ... (Interruptions) I request the Government to clarify the need for the same. I would also like to know how Aadhaar details will be plugging the gap of some kind. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Please conclude.

... (Interruptions)

SHRI N. REDDEPPA: The third point relates to maintaining security and privacy. ... (*Interruptions*) The Bill states that the national database can be

made available to other authorities preparing or maintaining another database. ... (*Interruptions*) This will be notified by the Government and can also include population register and electoral rolls among others. ... (*Interruptions*) The Bill also states that the use of national database will be approved by the Centre, while the use of the State database is subject to the approval of the State. ... (*Interruptions*) It can be made available to other authorities dealing with other State databases upon prior notification of the State Government. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member. Now, Shri Rahul Shewale. ... (*Interruptions*)

SHRI N. REDDEPPA: While such a step keeps the federal nature of the country intact, by enabling both the Centre and State to work in tandem, it is not defined what type of authority... (*Interruptions*)

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 का समर्थन करता हूं।...(व्यवधान) इस विधेयक का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना है।...(व्यवधान) प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक नागरिक-अनुकूल और कृशल बनाना है।

महोदय, यह विधेयक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित धाराओं में संशोधन करता है और जहां लागू हो माता-पिता और मुखबिरों की आधार संख्या सिहत आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट करता है।...(व्यवधान) जिससे गलत जानकारी देना बंद हो जाएगा। यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है। विधेयक के अनुसार भारत के रिजस्ट्रार जनरल राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक डेटाबेस बनाए रखेंगे। मुख्य रिजस्ट्रार और रिजस्ट्रार इस केंद्रीय डेटाबेस के

साथ डेटा साझा करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे सरकार को जनसंख्या के अनुसार योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।...(व्यवधान) विधेयक के कानून बनाने पर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, पंजीकृत जन्म और मृत्यु डेटा को जनसंख्या रिजस्टर, मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण जैसे और अन्य उद्देश्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है। यह विधेयक मतदाता सूची की सत्यता जानने के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पासपोर्ट बनवाने, राशन कार्ड बनवाने तथा संपत्ति के पंजीकरण में सुगमता आएगी, क्योंकि सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले : महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। धारा-10 के एक संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति की घर पर मृत्यु होती है और हाल फिलहाल में उस व्यक्ति को किसी डाक्टर ने अटेंड नहीं किया है तो उस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?...(व्यवधान) यदि हाल फिलहाल में उस व्यक्ति को किसी डाक्टर ने अटेंड भी किया हो और वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दे कि मैंने तो मरीज को कुछ दिनों से ट्रीट नहीं किया है, इसलिए मैं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूं।...(व्यवधान) इस स्थिति में बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के मृत्यु पंजीकरण कैसे होगा? इस परिस्थिति का विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय का संज्ञान लेते हुए इन परिस्थितियों को भी धारा 10 के संशोधन में जोड़ा जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवले : महोदय, मैं धारा 23 के संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। (डी) उप-धारा (3) के लिए निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथार्त इसमें इन्क्लूड है कि कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (2) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करने या जारी करने की उपेक्षा करता है या इनकार करता है या धारा 10 की उपधारा (3) या कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार को ऐसा प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा करेगा या इनकार करेगा, तो जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। मेरा कहना है कि पचास रुपये का जुर्माना बहुत ही कम है।...(व्यवधान) इसे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदय, नई धारा 25ए के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो ऐसी अपील की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपील का फैसला करेगा।...(व्यवधान) जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के लिए अपील को निपटाने के लिए 90 दिन का समय ज्यादा है। अपील को 30 दिनों में निपटाने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि भारत में वैसे ही न्याय बहुत देरी से मिलता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अपील के निपटारे की समय सीमा 30 दिन की जाए।...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : संगीता आजाद जी।

आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापित जी, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2023 पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और अपनी पार्टी की मुखिया बहनजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।...(व्यवधान) भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण आरबीडी अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। जन्म और मृत्यु के आधार पर ही पंजीकरण किया जाता है। तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के कारण देश में एक राष्ट्र, एक डेटा का पोर्टल करने की दिशा में विभिन्न धाराओं

को निहित उपबंधों को सरलीकरण के लिए भारत सरकार आरबीडी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव सराहनीय है, लेकिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, जो कि मेरे जिले से भी संबंधित है जैसे कि एक जीवित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। ...(व्यवधान) उसने अपने नाम लाल बिहारी मृत्यु संघ के नाम से एक कमेटी बनाई है। इस समिति में कम से कम बीस हजार लोग रिजस्टर्ड हैं। जीवित होने के बाद भी उन्हें मृत घोषित करके हर कल्याणकारी योजनाओं से मुक्त रखा गया है। ऐसी कई चीजें हैं, जिसमें उनकी जमीन और सम्पत्ति को हड़पने की कोशिश करके गलत मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है।...(व्यवधान)

सर, आज भी हमारे कर्मचारी, जो पेंशनधारी हैं, उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है और हर वर्ष उन्हें दफ्तरों में जा कर इसके लिए जीवन प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। ... (व्यवधान) जिनकी आयु 90 से 100 वर्ष की है, उन कर्मचारियों को दफ्तर जा कर जीवन प्रमाण-पत्र देने में बहुत ही तकलीफ होती है, उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा है, उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। ... (व्यवधान)

सर, सरकार से मेरी गुज़ारिश है कि पेंशनधारी कर्मचारी, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनका जीवन प्रमाण-पत्र या तो ब्लॉक से या स्थायी समितियों से इकट्ठा कर के उन्हें मान्य किया जाए। ... (व्यवधान)

सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय सभापति : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose this RBD Bill.

In a democracy, the Government must be transparent and the citizen's life must be protected but this Government believes in the opposite. ... (Interruptions) When we ask for data on poverty or death during COVID-19

time, the Government says no data is available. But the Government feels it is entitled to collect all our personal and private data and use it for its own ends. ... (*Interruptions*) There is a phrase in English called 'Peeping Tom'. In *Hindustani* phrase it should be called as 'Jhankoo Uncle' considering the way the Government is indulging in. ... (*Interruptions*)

The proposed Section 3, sub-section 3(A) violates the fundamental right to privacy guaranteed by the Constitution and as recognised by the Supreme Court in the *Puttaswamy vs. Union of India* judgement. ... (*Interruptions*)

The information collected under the RP Act, Aadhaar Act, National Food Security Act, Passport Act, and the Motor Vehicle (Amendment) Act is collected for that purpose alone. Interlinking and centralising such diverse database violates the principle of purpose limitation which is at the heart of right to privacy. ... (*Interruptions*).

The test laid down in the Puttaswamy case requires that there must be a statute for any State action that infringes on the right to privacy. In the case of NPR, no statute exists. The Citizenship Act, 1955 has no reference to any popular registration. This is backdoor NRC, and it is completely unconstitutional. ... (*Interruptions*). The Government must first tell us when the Census is going to happen.

Linking of the proposed National Database under the RBD Act with electoral rolls is fraught with Constitutional impropriety. ... (*Interruptions*) There is a likelihood of such data being used for targeted disenfranchisement and suppression of voters. Also, there is a likelihood that some electoral

consultants, whether it is Association of Billion Brains or Foundation of Billion Brains, can create a database that provides granular data on voters, their caste, and religion. ... (*Interruptions*)

Under the RP Act, the ERO has a statutory duty to conduct enrolment after assessing evidence. Linking this to applicants is violation of Article 324 and the RP Act. ... (*Interruptions*) The Supreme Court in its judgement in Lal Babu Hussein case held that the ERO is responsible for deleting and adding the names. ... (*Interruptions*)

Lastly, the Puttaswamy judgement laid down three-fold tests, namely, legality, necessity, and proportionality. This amendment does not meet these three-fold tests. ... (*Interruptions*) The centralised database will enable creation of mass surveillance infrastructure that may be used for profiling, targeting and discriminating against citizens. ... (*Interruptions*)

Sir, amendment to Section 17 is blatantly anti-poor as it extends to any person whose birth was not registered or incorrectly registered. Sir, 38 per cent of children under the age of five do not have birth certificates. ... (*Interruptions*) Sir, in the year 2015-16, 62.3 per cent of children under the age of five had their births registered, and they possessed a birth certificate.

The National Family Health Survey-IV says that only 56.4 per cent of the people in rural areas had registered births, and possessed birth certificates whereas 82 per cent of children under the age of five in the richest wealth group had their births registered and possessed birth certificates. ... (Interruptions)

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सीट्स पर जाइए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एक बार हाऊस को आपने व्यवस्थित चलने दिया, फिर क्यों आप हंगामा कर रहे हैं?

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, तब आप अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी बिल पास हो रहा है, उसमें सहयोग दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप चर्चा में पार्टिसिपेट कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: In the light of the administrative limitations that are present in the birth/death registration system, it is unacceptable to allow such proofs to be treated as conclusive and mandatory. ... (*Interruptions*)

Sir, why is the Election Commission not bringing the amendment? Why is the Ministry of Home Affairs doing it? That is why, there will be a large-scale surveillance. The Government can target and delete genuine voters thereby creating exclusive criteria for the 2026 delimitation exercise. ... (*Interruptions*)

Sir, I am thankful that they have come to me to show themselves. I am very thankful. ... (Interruptions)

That is why, I oppose this Bill. I hope the Government will send it to the concerned Standing Committee.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। ... (व्यवधान) इससे यह दर्शाया गया है कि यह जनसुविधा के लिए है और सरकारी योजनाओं को सुगमता एवं पारदर्शिता से बिना विलंब पहुंचाने के लिए है। ... (व्यवधान) जो राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी आवश्यक है। ... (व्यवधान) उसकी चिंता व्यक्त की गई है। ... (व्यवधान) इसमें सबका समाधान है। ... (व्यवधान) एकाध माननीय सदस्यों ने अपनी शंका भी व्यक्त की है। ... (व्यवधान) मैं उनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि शंका की इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ... (व्यवधान) बहुत ही पवित्र मन से मोदी जी की सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। माननीय मोदी जी की सरकार जन सुविधा में किसी भी कारण से विलम्ब न हो और उसको सेवायें प्रदान की जाएं, इसके लिए एक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र यानी रिजस्ट्रेशन के माध्यम से इसका डेटा बेस तैयार करने की मंशा से यह विधेयक लाई है।... (व्यवधान)

महोदय, जब यह विधेयक लाने की बात आई, जब केंद्र सरकार ने इसके बारे में सोचा तो केंद्र से संबंधित विभागों, मंत्रालयों, सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों से इसमें परामर्श लिया गया ।... (व्यवधान) किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, सबका समर्थन प्राप्त हुआ।... (व्यवधान) इतना ही नहीं, महीनों तक इसका जो ड्राफ्ट बना, वह जनपरामर्श के लिए भी रखा गया और जनसामान्य की ओर से जो भी सुझाव आए, उन पर भी विचार किया गया ... (व्यवधान) जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र का इससे सरलीकरण होगा ।... (व्यवधान) पहले फिजिकल रिजस्टर में यह दर्ज होता था, अब इसका डिजिटल डेटा बेस बनेगा ।... (व्यवधान) किसी को अपने जन्म प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ेगी या किसी की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार वालों को या किसी को भी मृत्यु प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी, तो वह जहां भी रहेगा, बहुत ही सरलता से उसको उपलब्ध हो

जाएगा।...(व्यवधान) इसके रजिस्ट्रेशन के पश्चात जन्म प्रमाण-पत्र मिलेगा । ... (व्यवधान) जब सूचना प्राप्त होगी उसके रजिस्ट्रेशन के सात दिनों के अंदर उसको प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा देना है, ऐसी व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान)

महोदय, जनशिकायतों का निवारण हो, इसके लिए इसमें सरलता से इसकी व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान) यह जन्म प्रमाण-पत्र एक ऐसा डाक्यूमेंट होगा, जो कहीं भी कोई सरकारी नौकरी में, चाहे केंद्र में या राज्य में जाएं या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएं, चाहे मतदाता सूची में नाम के लिए जाएं, चाहे किसी शिक्षण संस्थान में एडमीशन के लिए जाएं, उस समय जब जन्म और स्थान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना हो तो वह एक बहुत सक्षम डाक्यूमेंट होगा।... (व्यवधान)

महोदय, मैं एक और बात संवेदनशीलता के साथ कहना चाहूंगा कि आपदा के समय भी जब मृत्यु प्रमाण-पत्र तत्काल चाहिए, वह व्यवस्था नहीं बनी थी। अब उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। ... (व्यवधान) इसलिए यह जन-उपयोगी है। ... (व्यवधान) जनसुविधा के लिए, जन-उपयोगी चीजों में इसका उपयोग हो, इसके लिए जनहित में लाया हुआ यह विधेयक है।... (व्यवधान) मेरा सबसे निवेदन है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को पारित करने की कृपा करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, डॉ. आलोक कुमार सुमन, प्रो. सौगत राय और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा अपने-अपने संशोधन दिए गए हैं, मगर वे अपने संशोधनों को सभा में प्रस्तुत नहीं करना चाहते।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप सभी सहमत हों तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूं।

SOME HON. MEMBERS: Yes.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

" कि खंड 2 से 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। आप थक गए होंगे। अब थोड़ा विश्राम कीजिए। बैठ जाइए, प्लीज अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 29, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Item No. 29: The Offshore Area Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023.

The hon. Minister.

... (Interruptions)

15.25 hrs

OFFSHORE AREAS MINERAL (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, be taken into consideration."

माननीय सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

" कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति: श्री गोपाल शेट्टी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापित महोदय, मैं अपतट क्षेत्र खिनज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और सम्माननीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही अच्छा बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से देश और राज्य को आने वाले समय में बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। मैं प्रह्लाद जोशी जी का इसलिए भी अभिनंदन कर्रुगा कि बीते सप्ताह में एक बिल लाकर उन्होंने इसकी मंजूरी प्राप्त करा ली और एक बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है। ... (व्यवधान)

अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से आने वाले दिनों में देश में आठ हजार किलोमीटर समुद्रीय तट और दो हजार स्कवॉयर किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बड़े पैमाने पर देश को राजस्व मिलने वाला है। इस बिल के पास होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑफशोर राज्यों में आवश्यक चीजें भी समय पर उपलब्ध होगी और एक बहुत बड़ा काम देश के लिए होगा। इस बिल को बहुत ही पारदर्शी तरीके से लाया गया है, जिसमें बिडिंग होगा, कोई भाई-भतीजा को यह टेंडर मिलने वाला नहीं है। इस बिल के पेश होने के बाद व्यापारी वर्ग को काम मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया है, उसके माध्यम से बार-बार उनको लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सरकारी दफ्तर में चक्कर मारने नहीं पड़ेंग। इस बिल में इसे लांग टर्म एक्सटेंशन करने की भी व्यवस्था है। इस बिल के पास होने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। ... (व्यवधान)

राज्य सरकारों से इन दिनों मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। बीते नौ-दस सालों में हमने देखा कि किसी भी राज्य सरकार या जो विपक्ष के नेता हैं, उनके राज्यों को कम राजस्व मिला है, कम रेवेन्यू मिला है, इस प्रकार की यहां पर कोई बात नहीं उठायी है। इन दिनों इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए पार्लियामेंट में ये क्या बोलेंगे? ... (व्यवधान)

लोक सभा का सत्र शुरू होने के पहले कोई एक मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे पर संसद को इस प्रकार से न चलने देने का प्रयास करते हैं। ... (व्यवधान)

मुझे अच्छी तरह याद आता है। मैं कॉरपोरेशन से यहां तक पहुंचा हूं। जब जीएसटी का बिल पास हुआ, मेरे साथ शिव सेना के लोगों ने 25 साल काम किया, जीएसटी बिल पास होने के समय उनके मन में शंका थी कि जीएसटी पास होने के बाद कॉरपोरेशन को कम पैसा मिलेगा। इतना बड़ा मुंबई महानगरपालिका को हम कैसे चलाएंगे? उन दिनों के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी थे। उन्होंने इस बात का वायदा किया और आश्वासन दिया कि कोई भी पैसा कम नहीं मिलेगा। जितना पहले पैसा मिलता था, उतना ही मिलेगा। उसका पहला चेक उन्होंने कॉरपोरेशन में जाकर खुद दिया। उसके बाद में आपने देखा कि पहले से भी ज्यादा पैसा इन दिनों कॉरपोरेशन को मिल रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप बिल पर ही बोलिए।

श्री गोपाल शेट्टी: सभापित महोदय, मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं जब दो दिन पहले मंत्री महोदय जी ने कहा। जो मिनरल बिल पहले भी पास हुआ, उसके माध्यम से ओडिशा जैसे राज्य को दो हजार करोड़ रुपये का लाभ हर साल होता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद सभी राज्यों को बड़े पैमाने पर पैसा मिलने वाला है। कांग्रेस के जमाने में 32 प्रतिशत राशि मिलती थी। मोदी सरकार में वर्ष 2015 से 42 प्रतिशत राशि देना प्रारंभ किया गया यानी 10 परसेंट राशि बगैर मांगे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। ... (व्यवधान) बहुत बड़े-बड़े ऑफशोर गार्डन डेवलप किए। बच्चों को रेत के साथ खेलने का शौक होता है। जब हम कलेक्टर को कहते थे कि दिश्या के बाजू से हमको रेत लाकर यहां डालना है तो कलेक्टर भी इसकी इजाजत नहीं देते थे। लेकिन जो भू-माफिया हैं, वे लाकर देते थे। यह बिल पास होने के बाद सरकार के माध्यम से हम ऑफिशियली दिश्या के पास से जो रेत है, वह ला सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पिनाकी मिश्रा जी।

...(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to speak on a very important Bill that this House is today sitting to consider. ... (*Interruptions*)

At the threshold, let me first straightaway say that under express instructions of Mr. Naveen Patnaik, the Biju Janata Dal has always deprecated this attitude that the House should not run. ... (*Interruptions*) The House must run because otherwise we MPs lose. ... (*Interruptions*) Only the Government gains. ... (*Interruptions*) If the House does not run, governance will carry on. ... (*Interruptions*) So, I appeal to my brothers that do not do this. ... (*Interruptions*) It is not in your interest. ... (*Interruptions*)

Now, as far as the Bill is concerned, according to the Geological Survey of India 79 million tonnes of heavy minerals are available in India, and most of this is in Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra. ... (Interruptions) Therefore, for all these States this Bill is of vital importance. ... (Interruptions) This is, therefore, for the first time that the Central Government is opening up the country's vast mineral-bearing offshore areas. ... (Interruptions)

We are grateful to the hon. Minister. He has been a progressive Minister. ... (*Interruptions*) I am very grateful to Mr. Joshi for having opened up the offshore areas the way you have. ... (*Interruptions*) You have put in adequate safeguards. ... (*Interruptions*) It is a very good thing. ... (*Interruptions*) This is

all going to be done *via* auctions. ... (*Interruptions*) Therefore, that is the way

forward. ... (Interruptions) I am very happy that the auction route is being

pursued by the Government. ... (*Interruptions*)

In addition, the mining of atomic minerals has also been opened up. ...

(Interruptions) These are rare earth minerals containing Uranium, Thorium,

etc., which are very critical for India's growth, India's Atomic Energy, and for

India to become a \$ 5 trillion economy. ... (Interruptions) These are vital

ingredients. ... (Interruptions) And again, I commend the Government for this

absolutely correct step that they are taking in this direction. ... (Interruptions)

The Offshore Area Mineral Trust that the Government has setup, again I

believe is a very salutary thing because the concession holders will be required

to pay an amount to the Trust in addition to any royalty, and this will be sent for

research, for relief, etc. ... (Interruptions)

Now, Mr. Chairman, my last point is that there will be some

environmental concerns. ... (Interruptions) I am sure that in sustainable

development, environment must be protected. ... (Interruptions) The 'polluter-

pays' principle works, but the precautionary principle also works. ...

(Interruptions) We must ensure that the Government takes adequate steps for

environmental protection while allowing this. ... (*Interruptions*)

I commend the Government, and I support the Bill wholeheartedly. ...

(Interruptions).

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप वह काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी जनता-जनार्दन ने आपसे अपेक्षा की है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो रही है। आप अपनी बात रखिए, अपना विचार रखिए, सरकार को सुझाव दीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए। प्लीज, आप सब अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कृपाल बालाजी तुमाने जी।

...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): धन्यवाद सभापित जी, यह संशोधन विधेयक लाने के लिए मैं भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खनन मंत्री माननीय प्रह्लाद जोशी जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। ...(व्यवधान) मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या बना हुआ है। इस प्रक्रिया के लिए परिमट और लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ...(व्यवधान) इस विधेयक द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने और आसानी को बढ़ावा देने के लिए खनन क्षेत्र में कारोबार करने के लिए सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ...(व्यवधान) यह भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने के लिए और भी अधिक सुधारों की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) भारत में भी दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया जितनी ही खनिज क्षमता है और यह विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादनकर्ता है। ...(व्यवधान) इतनी बड़ी खनिज क्षमता के बावजूद भारत का खनन क्षेत्र अभी भी उस मायने में

कम है। इस संशोधन से खनन क्षेत्रों को विकसित करने में मदद मिलेगी। ...(व्यवधान) खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 7 से 7.5 परसेंट का योगदान देता है। लेकिन, भारत में यह केवल 1.75 परसेंट है।

सभापित महोदय, भारत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के खिनजों का आयात कर रहा है। भारत ने अब तक अपनी स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता का केवल 10 परसेंट ही खोजा है। ... (व्यवधान) भारत द्वारा खनन के लिए ओजीपी का केवल 5 परसेंट उपयोग किया जा रहा है, जबिक आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में 70 से 80 प्रतिशत इसका उपयोग किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य नीलामी के माध्यम से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने का सुझाव देना है। निजी कंपनियां निजी क्षेत्र की भागीदारी और अन्वेषण को प्रोत्साहित करती हैं। ... (व्यवधान) कोई अन्य पूर्वेक्षण और संचालन कर सकती है, जो विभिन्न उद्योगों और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने, रणनीतिक उद्योगों में प्रगति लाने, भारत को अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक, संचार, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में अधिक आत्मिनर्भर बनाने तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए लाया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मलूक नागर जी।

आप केवल एक मिनट में बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापित महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान) अगर खनिज पर देश की इकोनॉमी मजबूत करनी है तथा अभी हम जो लहराते हुए पांचवें और चौथे स्थान पर हैं, अगर उसको तीसरे स्थान पर लाना है तो उसके हिसाब से आज यह बिल बहुत अच्छा है। ... (व्यवधान) अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। हमारा देश

मिनरल से भरा हुआ है, जिससे देश की तरक्की हो सकती है।... (व्यवधान) मैं इसमें केवल एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जहां भी मिनरल और माइन्स हों, जहां भी मिनरल निकले, जिनकी जमीन पर निकले, सरकार कुछ हिस्सा उन किसानों को भी दे दे, ताकि देश की इकोनॉमी के साथ किसान भी मजबूत हो सकें। धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रहलाद जोशी: चेयरमैन सर, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ... (व्यवधान) आज महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। मैंने अभी जो बिल पेश किया है, जिस पर हाउस कंसीड्रेशन कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ... (व्यवधान) यहां जो छात्र आए हैं, ये इन लोगों के बिहेवियर को देख रहे हैं। ... (व्यवधान) इतने महत्वपूर्ण बिल पर कुछ माननीय सदस्य अमेंडमेंट मूव करते हैं और कुछ आपित व्यक्त करते हैं। ... (व्यवधान) कम से कम उसको सुनने के लिए शांति से बैठना चाहिए, सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। ... (व्यवधान) अगर हम इतनी भी प्रेस्टीज और मर्यादा नहीं रखते हैं तो ये बच्चे जो हम लोगों को देख रहे हैं, ये हम लोगों को रोल मॉडल मानते हैं। ... (व्यवधान) ये हम लोगों को देखने के लिए आए हैं। कई सदस्य इस तरफ से भी तैयारी करके आते हैं। उस तरफ के भी कई सदस्य, चेयरमैन साहब मैं आपको बता रहा हूं, उस तरफ के कई सदस्य चाहते हैं कि हम चर्चा में भाग लें। ... (व्यवधान) चर्चा में भाग लेते हुए हमारा जो विचार है, वह विचार सदन और देश के समक्ष रख सकें। लेकिन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सदन के जो सदस्य ऑपोजिशन के हैं, वे इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

सर, Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act के बारे में बोलने के लिए बहुत चीजें हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट्स हैं। मैं तीन-चार मिनट में, आपने मुझे जो सूचना दी है, मैं उसका पालन करूंगा।... (व्यवधान) लेकिन, कम से कम आप मुझे पांच-छ: मिनट का समय दे दीजिए। ... (व्यवधान) The present Bill seeks to amend the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

In this, we are proposing to introduce auction as a method for production lease. The second is to introduce the composite licence, that is exploration licence-cum-production lease to be granted through auction. ... (Interruptions). The third is declaring all applications received prior to the date of commencement of the amendment Act as ineligible in view of introduction of auction only as the method. ... (Interruptions)

In addition to this, the period of production lease is to be for 50 years on the lines of the MMDR Act. ... (Interruptions) जो ब्लॉक है, उसमें लिखा गया है। द ऑफ्शोर एरियाज़ मिनरल ट्रस्ट (ओएएमटी), हमने एमएमडीआर एक्ट के माध्यम से जो मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया है, उसी तरह हम ओएएमटी की रचना करने जा रहे हैं।...(व्यवधान) इसका कुछ लोगों ने विरोध किया है। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2002 से इसका प्रोविजन है। इस तरफ जो लोग हैं, कम से कम आप तो सुनिए। ये लोग जो अभी इस बिल को अपोज कर रहे हैं, जो ऑक्शन रूट है, हम ऑफ्शोर में ब्लॉक को आवंटित करने जा रहे हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2010 में इन लोगों ने डिस्क्रिशन रूट से मनमानी तरीके से अलॉटमेंट किया था। जिसको चाहिए था, उनको बुला-बुलाकर अलॉट किया था।...(व्यवधान)

अभी जो लोग नारे लगा रहे हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशन मांगे, 53 आवेदकों ने 377 आवेदन दिए।...(व्यवधान) The Screening Committee selected 16 applicants for the grant of 62 exploration blocks. ... (Interruptions) कोई यार्डस्टिक नहीं है। कोई ट्रांसपैरेंट रिजीम नहीं है। बाद में चीफ विजिलेंस ऑफिसर (आईबीएम) ने इन्वेस्टीगेट किया। उन्होंने कहा कि five companies of the same group having a common Director and common address got 28 out of 62 blocks. ... (Interruptions) इसमें तो ऑलमोस्ट एक ही व्यक्ति को मिला। वह कौन है, पहले ये लोग वह बताएं।...(व्यवधान)

हम क्या कर रहे हैं? हम इस एक्ट में जो बदलाव ला रहे हैं, वह ऑक्शन के रूट से कर रहे हैं।...(व्यवधान) जो लोग यहां पर हैं, इनके भाई-भतीजों को नहीं मिल रहा है। इनके रिश्तेदारों को नहीं मिल रहा है, चाचा-मामा को नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये लोग इस बिल का विरोध और नारेबाजी करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) मोदी जी के नेतृत्व में हम जो ट्रांसपैरेंट सिस्टम लाए हैं, इस ट्रांसपैरेंट सिस्टम के तहत पूरे देश से जो भी आएगा, उसको ऑक्शन के रूट से आना पड़ेगा। उनके चाचा, मामा, दीदी, दादा, इन सबको नहीं मिलेगा, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है।...(व्यवधान)

महोदय, बाद में सीबीआई इंक्वॉयरी हुई। The Preliminary Enquiry Report stated that there was no clear-cut guideline for shortlisting of the applicants and that the criteria for selection of applicants for issuance of exploration licence was fixed after the receipt of application. ... (Interruptions) पहले एप्लीकेशन मांगी और बाद में नियम बना दिया। यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी आप वेल में आकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं।...(व्यवधान) थोड़ी तो ... * कीजिए। कम से कम जो हो रहा है, उसका समर्थन करने की कोशिश कीजिए।...(व्यवधान)

महोदय, अभी श्रावण माह चल रहा है। श्रावण माह में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकाले गए थे। उसके बाद अमृत निकला था। इसी तरह से मोदी जी के कालखंड में हम आज इस बिल को पारित करके आधुनिक युग में समुद्र मंथन कर रहे हैं।...(व्यवधान) देश में जिन क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को उपलब्ध कराने के लिए एक ट्रांसपैरेंट ऑक्शन रूट बना रहे हैं।...(व्यवधान) एआईसीसी ऑफिस से जो चिट्ठी आती थी, उनको कोल ब्लॉक्स आवंटित करते थे। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

* Not recorded

-

हम जो कुछ कर रहे हैं, उसमें मोदी जी देश के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हर एक सेक्टर में ला रहे हैं। इसलिए हमारा क्रिटिकल मिनरल उपलब्ध होगा। दुनिया के बहुत सारे देश, जैसे म्यांमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर हमसे छोटे देश हैं, ये देश भी ऑफशोर मिनरल में हमसे आगे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो क्रिटिकल मिनरल है, वह देश के लिए आपूर्ति एनर्जी सेक्टर की जरूरत है और उसे पूरा करने तथा एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल मिनरल बहुत जरूरी है। हम इसे ऑक्शन से ट्रांसपेरेंट रूप में ला रहे हैं। कृपया इसे सर्वसम्मित से पारित करने की कृपा करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यहां बच्चे देख रहे हैं, आपकी भी थोड़ी प्रेस्टीज है, यह समझ लीजिए और थोड़ा संयम से व्यवहार कीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, डॉ. आलोक कुमार सुमन और प्रो. सौगत राय, आप दोनों ने अपने-अपने संशोधन दिए हैं। अगर आप अपने संशोधनों को सभा में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं तो मैं सभी खण्ड़ों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ रख रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप बैठिए। अब अनुसूचित जातियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, उसमें भागीदारी कीजिए और आप अपनी बात कहिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 30, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी।

15.48 hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER AMENDMENT BILL, 2023

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले

विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड): सभापित महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री वीरेन्द्र खटीक जी के द्वारा संविधान में अनुसूचित जाित संशोधन विधेयक लाया गया।... (व्यवधान) इस बिल से यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास करती है। मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करते हुए अंतिम व्यक्ति के सपनों को पंख देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसी दिशा में यह संशोधन बिल लाया गया है। संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, संशोधन विधेयक, 2023-24 लोक सभा में अभी पेश किया गया।... (व्यवधान) यह विधेयक संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाित मानी

जाने वाली जाति और जनजितयों को सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में मेहरा, महार, मेहर समुदायों के पर्यायवाची के रूप में समुदायों को शामिल किया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि इस बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करें और मैं भी इस बिल का समर्थन करती हूं। **KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU):** Thank you hon. Chairman Sir for allowing me to speak on this Bill.

Sir, I have some suggestions about this Bill. The annual budget shows its commitment to economic empowerment of weaker sections of society by allocating Rs. 38,605 crore for the BC component, Rs. 20,005 crore for the SC component and Rs. 6,929 crore for the ST component.

I urge upon the Government to fulfil the commitment for the well-being of this section and ensure that the funds allocated are effectively utilized to create opportunities for their socio-economic growth and development (Interruptions)

Besides education and economic empowerment, there is a need to promote diversity and representation in the judiciary. It is shocking that, since the establishment of the Supreme Court, there have been only five judges from the SCs. Currently, only 24 out of 850 High Court Judges hail from SC community. Fourteen of these courts have no SC judge at all....(*Interruptions*)

The Government must implement policies to increase the inclusion of qualified and deserving candidates from SC background in the judicial system...(Interruptions)

In conclusion, with these suggestions, I support the Bill...(Interruptions)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023 जो छत्तीसगढ़ के लिए लाया जा रहा है, मैं उसका समर्थन करती हूं। ...(व्यवधान)

सर, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की गौड़ जाति के साथ-साथ चार जितयों को भी एसटी में शामिल करने का संशोधन लाया गया था।...(व्यवधान) लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर इनको एसटी का कास्ट सिटिंफिकेट जारी नहीं किया गया है।...(व्यवधान) ये बेचारे न एससी के रह पाते हैं, न एसटी के रह पाते हैं और न ही ओबीसी के रह पाते हैं।...(व्यवधान) इन लोगों को शिक्षा और रोजगार में पूरा आरक्षण नहीं मिल पा रहा है।...(व्यवधान) जिसके कारण ये कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।...(व्यवधान) इसी तरह से अभी हाल ही में पूर्वांचल में भी "राजभर" जाति को भी एसटी में लाने का प्रावधान लाया गया है।...(व्यवधान) यह ठीक है।...(व्यवधान) इसके लिए मैं सरकार का समर्थन भी करती हूं।...(व्यवधान) लेकिन उसके साथ-साथ बाकी 16 जातियों को ओबीसी से उठा कर एसटी में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, उसे भी यह सरकार माने।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: सभापित जी, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाित, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो हमारे बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए कहा है।...(व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले नौ वर्षों में सरकार के द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं।...(व्यवधान) आज के इस प्रभावी बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो बिल लाया गया है, उसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें रखी गई, मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) सभापित महोदय जी, अनुसूचित जाितयों एवं जनजाितयों की सूचियों में संशोधन करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रक्रियाएं बनाई हैं।...(व्यवधान) जिसमें राज्यों और

संघ राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने के बाद उसमें आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा सहमति होने के उपरांत केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाता है।...(व्यवधान) उसके बाद उनके अनुमोदन के उपरांत यहां पर, सदन में लाया जाता है।...(व्यवधान) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 03.06.2021 और 28.01.2022 को अनुशंसा की गई कि वहां राज्य की "मेहरा" और "माहरा" समुदाय को क्रमांक 33 पर जो "महार", "मेहर" और "मेहरा" के पर्याय के रूप में सम्मिलित किया गया है।...(व्यवधान) जिसका महारजिस्ट्रार-आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समर्थन किया है। "मेहरा" और "माहरा" समुदायों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए यह विधेयक लाया जाए।...(व्यवधान) उस विधेयक को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसंशा पर यहां पर लाया गया है।...(व्यवधान) यह विधेयक पारित होने के उपरांत छत्तीसगढ़ "मेहरा" और "माहरा" समुदाय के हमारे जो बंधु रह गए थे, जो अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाओं से वंचित थे।...(व्यवधान) यह पास होने के बाद उनके बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर सकेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, उनको सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो वेलफेयर स्कीम है, चाहे वह लोन की स्कीम हो, वेंचर कैपीटल फंड की स्कीम हो, राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम हो, इन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। अत: मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने में अपना सहयोग दें।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 **Amendment of Constitution** (Scheduled Caste) Order 1950

माननीय सभापति : श्री आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 02 अगस्त 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

... (व्यवधान)

15.55 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 02, 2023/Sravana 11, 1945(Saka).

<u>INTERNET</u>

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)